



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 1, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 23, 2019  
Asvina 1, Monday, Saka 1941-September 23, 2019

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, सितम्बर 11, 2019**

**जीएसआर 18:-** 'राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष नियम-2001' में निम्न संशोधन किये जाते हैं:-

1- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

(1) इन नियमों का नाम "राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष (संशोधन) नियम-2019" होगा।

(2) यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2- वर्तमान नियमों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है।

बिन्दु संख्या-3 (पात्रता) :- राज्य के पत्रकारों और साहित्यकारों अथवा पत्रकारों और साहित्यकारों के आश्रितों को जो असाध्य रोग से ग्रसित है तथा दिवंगत पत्रकारों और साहित्यकारों के आश्रितों को वित्तीय सहायता निम्न प्राथमिकताओं के क्रम में तथा एक समय में एक ही व्यक्ति को दी जाएगी:-

वर्तमान नियम के बिन्दु संख्या -3 (पात्रता) का बिन्दु (ख) निम्नानुसार होगा:-

(ख) दिवंगत पत्रकारों और साहित्यकारों के आश्रितों को

(1) पत्रकार और साहित्यकार की पत्नी जिसकी आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

(2) 25 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्र।

(3) अविवाहित पुत्री जिसकी सभी स्रोतों से मासिक आय 9500/-से अधिक न हो। (इस बाबत शपथ

पत्र प्राप्त कराना होगा)

(4) पत्रकार और साहित्यकार के पिता व माता यदि उनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

बिन्दु (क) व (ख) के पश्चात् बिन्दु (ग) निम्न प्रकार जोड़ा जाता है:-

(ग) ऐसे पत्रकारों और साहित्यकारों के आश्रितों को, जो असाध्य रोग जैसे कैंसर से ग्रसित हैं उनके इलाज के लिए तथा वाल्व रिप्लेसमेंट, एन्ज्योप्लास्टी एवं बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लान्टेशन रोगों के इलाज के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता निम्न प्राथमिकताओं के क्रम में दी जा सकती है:-

(i) पत्रकार और साहित्यकार की पत्नी जिसकी आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

- (ii) 25 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्र।
- (iii) अविवाहित पुत्री जिसकी सभी स्त्रोतों से मासिक आय 9500/-से अधिक न हो। (इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त कराना होगा)
- (iv) पत्रकार और साहित्यकार के पिता व माता यदि उनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है।

[एफ.6(1)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2014]

एन.एल.मीना,  
आयुक्त एवं शासन सचिव  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
राजस्थान, जयपुर

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।